आनंद विभाग
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय

---

16 JUL 2018

क्रमांक- 85/आ.वि./बजट/2018 भोपाल, दिनांक /06/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- आनंद गतिविधियों के संचालन के लिए उपलब्ध कराये गये बजट के व्यय के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:- आनंद विभाग द्वारा जारी ज्ञाप क्रं. 151/आ.वि./बजट/2017 दिनांक 21 जून 2017

----0----

कृपया संदर्भित ज्ञाप की निम्न कंडिका का अवलोकन करें :-

3. "आप अपने विभाग के सेवकों को निम्न संस्थाओं में उल्लेखित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 20,000 रूपये तक फीस का भुगतान कर सकते हैं। अगर कार्यक्रम की फीस इससे अधिक हो तो उसका भुगतान संबंधित सेवक को स्वत: करना होगा। टीए/डीए का भुगतान पात्रतानुसार नियमित (regular) मद से होगा तथा प्रशिक्षण अवधि शासकीय सेवा पर ड्यूटी मानी जावेगी।

क्र.	संस्था का नाम	कार्यक्रम का नाम
1	The Art of Living Foundation, Bangalore	Building Competencies for Personal Excellence in Public Governance
2	IC Centre for Governance (ICCG), Panchgani	Ethics in Public Services
3	Isha (Foundation) Yoga Centre, Coimbatore	Inner Engineering Leadership Programme

यह उल्लेखनीय है कि यह समस्त कार्यक्रम भारत शासन Deptt of Personal and training ने शासकीय अधिकारियों के लिए मान्य किए हैं। यह सुविधा ऐसे नियमित एवं अनुबंध पर कार्य कर चुके अधिकारी एवं कर्मचारियों को मिल सकेगी जो तीन वर्ष की निरंतर सेवा दे चुके हो। इसमें पद/वेतन के आधार पर कोई भेदभाव अनुमत नहीं होगा।

यदि उक्त संस्थाएं उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्यप्रदेश में आयोजित करती है तब देय प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति उक्त सीमा के अंतर्गत की जा सकेगी।"

यह स्पष्ट किया जाता उक्त कण्डिका के प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किए गए हैं। अत: सभी विभाग आनंद शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने अधिकारी/कर्मचारियों को भेजने के लिए संदर्भित ज्ञापन अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग